

## मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्र-परिषद के नरिणय

### चर्चा में क्यों?

- 9 सतिंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नविस 'समतव भवन'में संपन्न हुई मंत्र-परिषद की बैठक में 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना'की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए ।

### प्रमुख बदि

- मंत्र-परिषद की बैठक में नरिणय लयि गया कि 'मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना'अब 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना'के रूप में जानी जाएगी ।
- इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लयि मान्य कयि जाएगा । भवषिय में जब-जब 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण'के अंतर्गत आवास नरिमाण की इकाई लागत वृद्धि होगी, तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी ।
- मंत्र-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास वभिाग के अंतर्गत संचालति 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति नरिमाण योजना'में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासकि मानदेय 2 हजार रुपए में वृद्धि करते हुए नवीन मानदेय 4 हजार रुपए प्रतिमाह करने का नरिणय लयि है । इससे 2 लाख 10 हजार रसोइये लाभान्वति होंगे ।
- मंत्र-परिषद द्वारा अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति, अन्य पछिड़े वर्गों तथा दवियांगजनों के बैकलॉग/कैरी फॉरवर्ड पदों की पूरति के लयि वशिष भर्ती अभयान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई है ।
- मंत्र-परिषद ने अतथि शिक्षकों को दयि जाने वाले मासकि मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी है । वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए, वर्ग-2 का मानदेय 7 हजार रुपए से बढ़ाकर 14 हजार रुपए और वर्ग-3 का मानदेय 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कयि गया है ।
- मंत्र-परिषद द्वारा प्रदेश में माँब लचिगि के अपराध पीड़ितों और उनके आशरतों को राहत व पुनर्वास के लयि म । प्र । माँब लचिगि पीड़ति प्रतकिर योजना 2023 लागू कयि जाने का नरिणय लयि गया है ।
- इस योजना के तहत माँब लचिगि के अपराध में पाँच या अधिक वयक्तियों की भीड़ द्वारा किसी वयक्ति या वयक्तियों को धरम, जाति, लयि, जनम स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभरिुचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हानि या कषतिकारति करने के लयि हसिा का कोई कृत्य या कृत्यों की कोई शरूखला को शामिल कयि गया है ।
- योजना के तहत माँब लचिगि की घटना में पीड़ितों को प्रतकिर राशि प्रदाय कयि जाने का प्रावधान कयि गया है ।
- मंत्र-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री की 27 अगस्त, 2023 को की गई घोषणा के पालन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत समस्त गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाडली बहनों को श्रावण मास (04.07.2023 से 31.08.2023) में गैस रफिलि 450 रुपए में उपलब्ध कराए जाने का नरिणय लयि गया है । लाडली बहनों के नाम से जारी गैस कनेक्शन पर श्रावण मास में कराए गए रफिलि पर अनुदान देय होगा ।
- मंत्र-परिषद ने National Forensic Sciences University (NFSU), गांधी नगर भोपाल द्वारा शैक्षणिक प्रयोजन के लयि ग्राम बरखेड़ा बौंदर तहसील हुजूर, भोपाल को कुल 4 । 8540 हेक्टेयर शासकीय भूमि शासन की शरतों के अधीन नःशुल्क प्रब्यार्जि और 1 रुपए भू-भाटक पर आवंटति कयि जाने का नरिणय लयि है ।
- मंत्र-परिषद द्वारा 'मुख्यमंत्री मेधावी वदियार्थी योजना'के अंतर्गत भारत सरकार व शासन के शासकीय, स्वशासी और अनुदान प्राप्त एवं उनके वशिवदियालयों के इंजीनियरिगि संस्थानों में प्रवेशति वदियार्थियों को जेईई (JEE) में स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त कयि गया है ।